<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.–2, इटावा।</u>
उपस्थितः कल्पना चौहान, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. CODE : UP3847
(प्रथम)नियमित प्रतिभू प्रार्थना पत्र सं.–1058/2026

CNR No. :UPEW010034032026

मोनू पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम तुरैया, थाना भरथना, जिला इटावा। हाल निवास–भदावर हाऊस, थाना सिविल लाइंस, जिला इटावा।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी/अभियोजन

मुकदमा अपराध सं.–05/2025
धारा–305(E), 317(2) भारतीय न्याय संहिता।
थाना–भरथना, ज़िला इटावा।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री एस.पी.एस. राणा व श्री राना यादव।
विपक्षी उ०प्र०राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–श्री अजीत प्रताप सिंह तोमर।

<u>दिनाँक–02.06.2026</u>

1. आवेदक/अभियुक्त **मोनू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–05/2025 धारा–305(E), 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना–भरथना, ज़िला इटावा के मामले में ज़मानत हेतु यह प्रथम नियमित ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

2. ज़मानत प्रार्थना पत्र के साथ अर्चना देवी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किये गये हैं कि अभियुक्त का यह प्रथम प्रतिभू प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य प्रतिभू प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में नहीं दिया गया है।

2A. अभियोजन की ओर से भी न्यायालय को संतुष्ट किया गया कि इस अपराध संख्या में अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग में गांव व क्षेत्रीय पार्टीबंदी के कारण थाना पुलिस से साज करके झूठा फंसाया गया है। मुकदमे का आधार भिन्न–भिन्न चोरी दिखायी गयी हैं और उन सभी में प्रार्थी/अभियुक्त नामज़द नहीं है। अभियोजन कथानक में कोई प्रत्यक्ष व परोक्ष साक्षी भी दर्शित नहीं किया गया है। कथित बरामदगी का कोई पब्लिक साक्षी नहीं है। उक्त फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी थाना हाजा पर तैयार करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से तथाकथित कोई भी चोरी की वस्तु अथवा रुपया बरामद नहीं हुआ है, बल्कि थाना हाजा पुलिस ने फर्जी रूप से प्लान्ट किया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर उपरोक्त धाराओं का सृजन नहीं होता है। चारों अभियुक्तों का दर्शित इकबालिया बयान व कथित सामूहिक बरामदगी, साक्ष्य अधिनियम की परिधि में नहीं आती है। प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध शाखा औरैया ने घटना से करीब तीन दिन पूर्व उसके पिता के/पैतृक आवास से पूछताछ के लिये हिरासत में लिया था, जिसके संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी ने दिनाँक–09.04.2026 को डी.जी.पी. व मुख्यमंत्री महोदय को पोर्टल पर शिकायत की थी। वह पूर्व दोषी नहीं है तथा दिनाँक–10.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है। इस मामले में सहअभियुक्त देव को न्यायालय द्वारा प्रतिभू पर मुक्त किया गया है। वह जमानत देने को तैयार है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः याचना की गयी कि प्रार्थी/अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाये।

4. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा योगेश चन्द्र(प्रधानाध्यापक कंपोज़िट उप प्राथमिक विद्याल विवौली समसपुर भरथना, इटावा) द्वारा थाना भरथना, इटावा में दिनाँक–08.01.2025 को अज्ञात चोर के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं.–05/2025 अंतर्गत धारा–305 भा.न्याय संहिता इस आशय का पंजीकृत कराया गया कि दिनांक–02.01.2025/03.01.2025 की मध्य रात्रि में

राजकीय उ०मा०वि० समसपुर विवौली एवं कम्पोजिट उ०प्राथमिक विद्यालय विवौली में अज्ञात चोर द्वारा सभी ताले तोड़कर विद्यालय के बहुमूल्य सामान की चोरी कर ली गयी है।

4A. मामले की फर्द बरामदगी के अनुसार दिनाँक–10.04.2026 को उपनिरीक्षक मंगल सिंह थाना भरथना मय हमराहियान पुलिस कर्मियों के थानाक्षेत्र में चोरों की उपस्थिति की सूचना पर बाइस ख्वाजा तिराहा–लाइन सफारी रोड पर पहुँचा तो मुखबिर ने बताया कि 04 चोरों की एक टोली केदारेश्वर मंदिर के सामने निर्माणाधीन मकान में बैठे हैं। सूचना पर विश्वास करके मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे और एक बारगी दबिश देकर समय 03:30 AM पर 04 नफर अभियुक्तों को पकड़ लिया। जिसमें से तीसरे ने अपना नाम मोनू पुत्र रमेश चन्द्र बताया। जिसकी जामा तलाशी से पहनी जींस की बायीं फेंट में खुरसा हुआ एक अदद छुरा व आगे की जेब से पांच हजार रुपये बरामद हुए। अन्य अभियुक्तों की जामातलाशी से तलवार, तमंचा, कटर मशीन, रेती, प्लास, वायर कटर, पेचकस, कटर ब्लेड, रूपये आदि बरामद हुए। अभियुक्तगण ने सघन पूछताछ में बताया कि वे चारों विगत दो वर्षों से एक साथ मिलकर चोरी कर रहे हैं। चोरी का कुछ सामान प्रदीप व मनीष के लुहन्ना गांव में स्थित मकान में नीचे हाल में रखा है। अभियुक्तगण की निशानदेही पर पुलिस बल द्वारा अभियुक्तगण के उपरोक्त मकान के भूतल में से विभिन्न घटनाओं से संबंधित माल बरामद किया गया, जिसमें थाना भरथना ग्राम समसपुर विद्यालय की घटना से संबंधित 03 अदद सी.सी.टी.वी. कैमरे व करीब 12 हाथ लंबाई का सफेद केबिल भी बरामद हुआ। बरामद माल को कब्जे में लेकर फर्द बरामदगी तैयार की गयी। अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ज़मानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस ने उसे पैतृक घर से पकड़कर इस मामले में झूठा लिप्त कर दिया है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। दर्शित गिरफ्तारी व बरामदगी झूठी व फर्जी है। पुलिस द्वारा उसे पूछताछ के लिये हिरासत में घटना से तीन दिन पूर्व लिया था तथा न छोड़ने पर उसकी पत्नी ने पोर्टल पर डी.जी.पी. व मुख्यमंत्री को शिकायत की थी। वह पूर्व में किसी मामले में सजायाफ्ता नहीं है। घटना अथवा बरामदगी का कोई प्रत्यक्ष व परोक्ष जनता का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह दिनांक–10.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा। अतः याचना की गयी कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाए।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दण्ड) द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर मुकदमे से संबंधित चोरी की गयी सी.सी.टी.वी. कैमरे व केबिल को बरामद किया गया है। अभियुक्त से अन्य मुकदमों से संबंधित माल की भी बरामदगी की गयी है। अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाए।

7. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता राना यादव एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दण्ड) अजीत प्रताप सिंह तोमर के तर्कों को सुना एवं प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

8. केस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर धारा–305(E), 317(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप है। कथानक के अनुसार अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर ग्राम समसपुर स्थित राजकीय विद्यालय से बहुमूल्य सामान की चोरी की गयी है, जिससे संबंधित 03 अदद सी.सी.टी.वी. कैमरे व सफेद केबिल की बरामदगी अभियुक्तगण की निशानदेही पर थाना पुलिस द्वारा की गयी है।

9. थाने की आख्यानुसार प्रार्थी/अभियुक्त का इस मामले के अतिरिक्त अन्य आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है मामले की प्राथमिकी में घटना दिनाँक–02/03.01.2025 की बतायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक–08.01.2025 को घटना के करीब 05 दिन की देरी से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में चोरी हुए सामान का कोई स्पष्ट विवरण यथा नाम, कंपनी, हुलिया आदि उल्लिखित नहीं है। फर्द बरामदगी पर स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं हैं। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा सात साल तक के कारावास से दण्डनीय है। प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में दिनाँक–10.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का दुरुपयोग न किये जाने तथा विचारण में सहयोग किये जाने के कथन किये गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का दुरुपयोग न किये जाने तथा विचारण में सहयोग किये जाने के कथन किये गये हैं। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में किये गये

अपराधिक मामलों का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अतः इस सबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **S.L.P. No 5191 of 2021 Satendra Kumar Antil Vs. CBI** में पारित सिद्वांतों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित होगा कि आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाए।

9. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार अभियुक्त का प्रथम नियमित ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मोनू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–05/2025 धारा–305(E), 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना–भरथना, ज़िला इटावा के मामले में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रथम नियमित ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा मुबलिग **70,000/–रुपये (सत्तर हजार रुपये)** का **व्यक्तिगत बंध** पत्र तथा इतनी ही राशि का **दो विश्वसनीय प्रतिभू** संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निष्पादित करने पर आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में दौरान विचारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय–35 में वर्णित उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर रिहा किया जाए–

i. आवेदक/अभियुक्त, विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा न्यायालय में नियत तिथियों पर उपस्थित होगा तथा अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा,
ii. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रयक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति या साक्षी को कोई ऐसी उत्प्रेरण, धमकी, वचन नहीं देगा, जिससे कि वह व्यक्ति या साक्षी उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रस्तुत न करने के लिये मनाया जा सके।
iii. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जायेगा,
iv. आवेदक/अभियुक्त इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, जैसा कि उस पर आरोप है।
v. आवेदक/अभियुक्त मामले से संबंधित साक्ष्यों से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

सत्र लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति ज़रिए ई–मेल, केन्द्रीय कारागार इटावा को अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनाँक–02.06.2026

प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०–1, इटावा।